**आयकर अपीलीय अधिकरण,**

**इंदौर (एकल सदस्यीय) न्यायपीठ, इंदौर**

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 974/ इंदौर /2019

निर्धारण वर्ष : 2010-11

| | | |
|---|---|---|
| श्री सुमित कुमार सेन, इंदौर | बनाम | आयकर अधिकारी 5 (2), भोपाल |
| अपीलार्थी | | प्रत्यर्थी |
| स्था.ले.सं.- एएनएचपीएस 7794 एम | | |

| | |
|---|---|
| अपीलार्थी की ओर से | लिखित प्रतिवेदन |
| प्रत्यर्थी की ओर से | श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि |
| सुनवाई तिथि | 11.02.2021 |
| उद्घोषणा तिथि | 16.02.2021 |

**आदेश**

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, भोपाल के आदेश दिनांक 18.10.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. निर्धारिती द्वारा इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन दाखिल किया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अधीन फार्म सं. 1 और 2 दाखिल किए हैं तथा सत्यापन के पश्चात प्रधान आयकर आयुक्त, भोपाल-1 ने फार्म सं. 5 जारी किया है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को

वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः मैं इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करता हूँ ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 16.02.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 16.02.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,गार्ड फ़ाइल